न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–95/2021

इन्द्रासन राम.....वादी

बनाम

कोदई यादव एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
07.11.2022	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख वादी की ओर से दिये गये आवेदन दिनांक 09.12.2021 के आदेश हेतु नियत है। वादी की ओर से दिनांक 09.12.2021 को आदेश 39 नियम 1 एवं 2 तथा धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अतंर्गत निषेधाज्ञा आवेदन दिया गया है। **आदेश (ORDER)** वादी के द्वारा दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक 09.12.2021 में कहा गया है कि खाता 07 खेसरा 524 रकबा 13 धुर मूल रूप से मालिक गैर मजरूआ भूमि है जिसके तत्कालीन जमीनदार बेतिया राज थे जिनका खेवट महारानी जानकी कुँअर के नाम पर दर्ज है। बेतिया राज के द्वारा आवेदन में वर्णित भूमि शनिचरी कोठी को ठेके पर दिया गया। जिसमें ठेकेदार शनिचरी कोठी को मालिकाना हक प्राप्त हुआ। ठेकेदार शनिचरी कोठी द्वारा बजरिये खेष्टा पट्टा दिनांक 14.03.1922 के द्वारा महेश चमार के नाम बंदोबस्त किया गया तथा जमाबंदी कायम कर बंदोबस्तीदार महेश के नाम मालगुजारी रसीद निर्गत किया गया। महेश चमार अपने पीछे एक मात्र पुत्र बुटाई राम को छोड़कर मरे। जो वादग्रस्त भूमि को उतराधिकार में प्राप्त किया। बुटाई राम अपने पीछे चार पुत्र इन्द्रासन राम, ब्रहमदेव राम, राधे राम तथा सुरेश राम को छोडकर मरें जो वादग्रस्त भूमि उतराधिकार में प्राप्त किये तथा दखल कब्जें में है। प्रतिवादी उदण्ड तथा कानून का अनादर करने वाले व्यक्ति है जो अकारण वादग्रस्त भूमि पर विवाद करना शुरू कर दिये जिसके समाधान हेतु वाद लाया गया है। महेश चमार के नाम पर कुल 13 धुर भूमि बंदोबस्त था जिसमें से 05 धुर भूमि वादी रामबेलास राउत को बयनामा से बेचें है। प्रतिवादी प्रथम पक्ष दिनांक 08.12.2021 को हरवे हथियार से लैश होकर सुबह करीब 10 बजे वादग्रस्त भूमि पर पहुचे तथा टैक्ट्रर से वादग्रस्त भूमि को जोतने का प्रयास किये। जिसका विरोध वादी द्वारा किया गया तो प्रतिवादी मारपीट पर उतारू हो गये। वादी को वादग्रस्त भूमि से बेदखली का खतरा उत्पन्न हो गया है जिसके	

लगातार 07.11.2022	कारण प्रतिवादियों के विरूद्ध वाद के लंबित अवस्था में अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित करना अतिआवश्यक है। अतः निवेदन है कि प्रतिवादियों के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित कर वादग्रस्त भूमि पर जाने से रोक लगाने की कृपा करें। दिनांक 12.04.2022 को प्रतिवादीगण की ओर से वादी के निषेधाज्ञा आवेदन का प्रत्युत्तर दाखिल किया गया। जिसमें कहा गया कि वादी का आवेदन कानून की दृष्टि से अपोषणीय बताया गया। मौजा परसा का हालसर्वे खतियान खाता 07 गैर मजरूआ मालिक मजकूर करके खतियान में दर्ज है एवं विवादित खेसरा सं0–524 का कुल खतियानी रकबा 19 कट्ठा 1 डिसमिल है एवं इस खेसरा के बकब्जे खाना में जामुन कुल हक मालिक करके दर्ज है एवं खतियान में इस भूमि का किस्म प्रति कदीम बताया गया है। उपरोक्त भूमि राजेन्द्र लाल के पूर्वजों के नाम सन 1959–60 में बिहार सरकार के द्वारा बंदोबस्त की गयी है। इस भूमि की जमाबंदी प्रतिवादी सं0–04 के पूर्वजों के नाम पर कायम है। जिसकी जमाबंदी न0–141 अंचल कार्यालय में दर्ज है। इस खेसरा की 14 कट्ठा 2 डिसमिल भूमि प्रतिवादी सं0–04 के पूर्वज घरभरन लाल के नाम पर बंदोबस्त है एवं घरभरन लाल के मरने के बाद उनके वारिसान इस भूमि की लगान अदा कर रसीद हासिल करते आ रहे है। प्रतिवादी सं0–04 ने प्रतिवादी सं0–02 रउफ मियाँ को 4 डिसमिल तथा गोपाल शर्मा को दिनांक 28.04.2021 को 4 डिसमिल भूमि तथा कोदई यादव प्रतिवादी सं0–01 को 4 डिसमिल दिनांक 28.04.2021 को उचित जर समन लेकर बयनामा दस्तावेज निबंधित निस्पादित किये है। प्रतिवादी सं0–01, 02 एवं 03 शांतिपूर्ण दखल कब्जे में चले आ रहे है। उक्त भूमि पर वादी द्वारा विवाद उत्पन्न करने एवं दखल कब्जा में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए अंचल अधिकारी लौरिया को जनता दरबार में आवेदन दिया गया। जिसमें अंचल अधिकारी ने CWJC NO.-12413/2004 के आलोक में प्रतिवादी द्वारा दिनांक 14.03.2022 के पट्टा के आधार पर जो दावा किया जा रहा था, उसे खारिज कर दिया। वादी ने उपरोक्त वाद श्रीमान् के न्यायालय में उक्त तथ्य छुपाकर दाखिल किया जो चलने योग्य नही है। दाखिल पट्ठा दिनांक 14.03.2022 बिल्कुल जाली फरेबी एवं नजायज है। उस पट्टे के आधार पर	

लगातार 07.11.2022	वादी को विवादित भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नही है। उपरोक्त वाद प्रतिवादीगण के पक्ष मे है। सुविधा का तुला भी प्रतिवादीगण के पक्ष में है। अतः वादी का आवेदन खारिज होने योग्य है। उभय पक्षों को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद वादी के द्वारा वादग्रस्त भूमि पर स्वत्व एवं दखल कब्जें की घोषणा तथा प्रतिवादी प्रथम पक्ष को वादी के दखल कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकने हेतु लाया गया है। किसी भी निषेधाज्ञा आवेदन पर आदेश करने से पूर्व यह देखना होता है कि प्रथम दृष्टया वाद किसके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन किस ओर है एवं यदि आवेदक का निषेधाज्ञा आवेदन स्वीकार नही किया जाता है तो इससे आवेदक को अपूर्णीय क्षति होगी अथवा नही तथा पक्षकारों का आचरण कैसा है ? वादी के द्वारा वादग्रस्त भूमि उनके पूर्वज महेश चमार के नाम से दिनांक 14.03.2022 को शनिचरी कोठी बजरिये खेष्टा पट्टा से बंदोबस्ती के जरिये प्राप्त होना बताते है तथा दिनांक 14.03.2022 को ही वादग्रस्त भूमि के दखल कब्जे में महेश चमार आ गये तथा तभी से वादी के पूर्वजों एवं वादी का दखल कब्जा चला आ रहा है। महेश चमार अपने एक मात्र पुत्र बुटाई राम को छोड़कर मरें तथा बुटाई राम अपने पीछे चार पुत्र इन्द्रासन राम, ब्रह्मदेव राम, राधे राम तथा सुरेश राम को छोड़कर मरें। इन्द्रासन राम संयुक्त परिवार के कर्ता है। अतः उक्त वाद में इन्द्रासन राम वादी है। जबकि प्रतिवादीगणों के द्व ारा वादग्रस्त भूमि राजेन्द्र लाल के पूर्वजों के नाम पर सन 1959–60 में बिहार सरकार के द्वारा बंदोबस्त करना बताया गया है तथा वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी प्रतिवादी सं0–04 के पूर्वजों के नाम पर कायम है। जिसकी जमाबंदी न0–141 अंचल कार्यालय में दर्ज है तथा प्रतिवादी सं0–04 के द्वारा ही निबंधित बयनामा दस्तावेज के द्वारा प्रतिवादी सं0–01, 02 एवं 03 को वादग्रस्त भूमि का विक्रय किया गया है तथा प्रतिवादी सं0–01, 02 एवं 03 शांतिपूर्ण दखल कब्जा में है। अतः वादी एवं प्रतिवादीगण दोनों पक्षों द्वारा वादग्रस्त भूमि पर अपना–अपना दखल कब्जा बताया गया है। वाद के इस स्तर पर यह निश्चित नही किया जा सकता कि प्रथम दृष्टया वाद किसके	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–95/2021

लगातार 07.11.2022	पक्ष में है। अभिलेख पर अधिवक्ता आयुक्ता का प्रतिवेदन भी उपलब्ध है। जिसमें वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगणों के द्वारा कोई तनाव उत्पन्न होने की बात नही आयी है। अभिलेख पर ऐसा कोई दस्तावेज अभी उपलब्ध नही है जिससे वादी को वादग्रस्त भूमि से बेदखली का खतरा उत्पन्न होने की संभावना हो। अतः सुविधा का तुला भी वादी की ओर जाता हुआ प्रतीत नही होता है। वादी को कोई अपूर्णीय क्षति होने की संभावना नही है। अतः वादी के आवेदन दिनांक 09.12.2021 को खारिज किया जाता है। उक्त आदेश में किया गया विनिश्चयन वाद के अंतिम न्याय निर्णयन को प्रभावित नही करेगा। उभय पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि वाद के शीघ्र निष्पादन में न्यायालय का सहयोग करें। वाद दिनांक 13.12.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	